

राजस्थान सरकार
वित्त (बीमा/पेंशन) विभाग

क्रमांक : प.4(17)वित्त/राजस्व/2012

जयपुर, दिनांक :- 19-6-2013

कार्यालय आदेश

राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग सेवा नियम 1959 के नियम 24 (ए) के उप नियम 11 के अनुसरण में राज्य बीमा सेवा की रिव्यू विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 15.06.2013 की सिफारिश के आधार पर निम्नांकित पदों पर अधिकारियों की पदोन्नति उनके नाम के सम्मुख अंकित वर्ष में की जाती है :-

अतिरिक्त निदेशक

क्र.सं.	नाम	वर्ग	वर्ष	विशेष विवरण
1	श्री दीनबन्धु परमार	अजजा	2009-10	इस विभाग के आदेश प.4(17) वित्त/राजस्व/2012 दिनांक 07.12.2012 में वर्ष 2009-10 के क्रम सं. 2 पर अंकित श्री एस.एन. खण्डेलवाल से नीचे व क्रम सं. 3 पर अंकित श्री सुभाष चन्द्र शर्मा से ऊपर किया जाता है।
2	श्री जे.पी.मीणा	अजजा	2009-10	

संयुक्त निदेशक

क्र.सं.	नाम	वर्ग	वर्ष	विशेष विवरण
1	श्री लक्ष्मण मीणा	अजजा	2009-10	इस विभाग के आदेश प.4(14) वित्त/राजस्व/2012 दिनांक 07.12.2012 में वर्ष 2009-10 के क्रम सं. 1 पर अंकित श्री अमित जौहरी से ऊपर किया जाता है।

उप निदेशक

क्र.सं.	नाम	वर्ग	वर्ष	विशेष विवरण
1	श्रीमती संतोष अमिताभ	अजा	2002-03	इस विभाग के आदेश प.4(15) वित्त/राजस्व/2012 दिनांक 07.12.2012 में वर्ष 2002-03 के क्रम सं. 1 पर अंकित श्री विजय कुमार पारीक से ऊपर किया जाता है।
2	श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा	अजा	2002-03	
3	श्री बी.एन.मीणा	अजजा	2003-04	इस विभाग के आदेश प.4(15) वित्त/राजस्व/2012 दिनांक 07.12.2012 में वर्ष 2003-04 के क्रम सं. 1 पर अंकित श्री सुरेश कुमार पूनियां से ऊपर किया जाता है।

आज्ञा से



(सुभाष चन्द्र शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव,
वित्त (बीमा/पेंशन) विभाग

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय बीमा राज्यमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त।
3. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक) वित्त विभाग।
8. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव,
वित्त (बीमा/पेंशन) विभाग

1791
20/6/13